न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजेश कुमार मीना (आरएएस)

वाद संख्या :– 275/2020 निर्णय दिनांक :– 23.02.2021

उनवान

1. रहिस खॉ पुत्र मजिद खॉ
2. नदीम खॉ पुत्र मजिद खॉ जाति मुसलमान निवासी बीबी का बाढ उफ फिरोजपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

––वादी

बनाम

1. आशिया बेगम पत्नि महबूब
2. फरीदा पत्नि अजीज खॉ (फौत)

2/1 नदीम पुत्र अजीज

2/2 नईम उर्फ नम्मू पुत्र अजीज

2/3 शाकीरा पुत्र अजीज

2/4 फरजाना पुत्री अजीज

3. फूल चन्द सैनी पुत्र मनसुखलाल सैनी समस्त निवासी बीबी का बाढ उर्फ फिरोजपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
4. मुकेश जैन पुत्र नरेन्द्र जैन निवासी 50/95 प्रताप नगर सांगानेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 15.09.2020 को इस प्रकार पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजी भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 37 के खसरा नंबर 170 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 172 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 व खाता संख्या नया 92 पुराना खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 169 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 173 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 174 रकबा 0.31 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 है0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि वाके ग्राम बीबी का बाढ उर्फ फिरोजपुरा पटवार हल्का बडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत तकासमा किया जाने का पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से दिनांक 19.11.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दोनो पक्षों की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाया जाकर भिजवाये जाने हेतु पत्र क्रमांक/राजस्व/20/5381 दिनांक 20.11.2020 को लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र क्रमांक /भू.अ/21/174 दिनांक 12.01.21 को कुरेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को कुरेजात का अवलोकन कराया गया तो पक्षकारान वकील ने कुरेजात का अवलोकर कर कथन किया कि कुरेजात रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

नियमानुसार बनाये जाकर भिजवाये गये है जो सही है उक्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गयी। पक्षकारान वकील की कुरेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्रि किये जाने की सहमति दिये जाने पर कुरेजात रिपोर्ट का एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान वकील के कथन पर गोर किया गया तो उक्त कुरेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्रि के अनुरूप एवं राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने एवं पक्षकारान वकील द्वारा भी किसी प्रकार से कुरेजात पर आपत्ति नही किये जाने से व सहमति देने से दावा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्रि किया जाना उचित समझते है।

दावा वादीगण मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाकर वाके ग्राम फिरोजपुरा उर्फ बीबी का बाढ तहसील कोटखावदा के वादग्रस्त खसरा नंबर 174 रकबा 0.31 है0 भूमि रहीस खॉ पुत्र मजीद खॉ हिस्सा 1/2 नदीम खॉ पुत्र मजीद खॉ हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. फिरोजपुरा उर्फ बीबी का बाढ के खाते में रहेगी। व खसरा नंबर 170 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 172 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि आंशिया बेगम पत्नि महबूब हिस्सा 2/9 जाति मुसलमान सा.देह फरीदा बेगम अजीज हिस्सा 2/9 (फौत) (वारिस नदीम पुत्र अजीज नईम उफ नफू पुत्र अजील शकीरा पुत्री अजीज फरजाना पुत्री अजीज) जाति मुसलमान सा.देह फुलचन्द सैनी पुत्र मनसुख लाल सैनी हिस्सा 2/9 जाति माली सा. देह मुकेश जैन पुत्र नरेन्द्र हिस्सा 1/3 जाति जैन नि0 50/95 प्रताप नगर सांगानेर के खाते में रहेगी व ख.न 169 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 173 रकबा 0.12 है0, किता 2 रकबा 0.30 है0, भूमि

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

आशिया बेगम पत्नि महबुब हिस्सा 41/375 जाति मुसलमान सा.देह फरीदा बेगम पत्नि अजीज हिस्सा 41/375 (फौत) ~~वसीम~~ नदीम पुत्र अजीज...नईम उर्फ नम्मू पुत्र अजीज, शकीरा पुत्री अजीज फरजाना पुत्री अजीज जाति मुसलमान सा.देह फूलचन्द सैनी पुत्र मनसुख लाल सैनी हिस्सा 293/375 जाति माली सा.देह के खाते में रहेगी व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो । निर्णय व डिक्री के नक्शे कुरेजात जू.जू रहेगे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\RAESH KHA VS AASYA.docx